नगर पालिका, सांचोर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/SANCHORE/FIRENOC/2025-26/66747

जारी दिनांकः 02-APR-2026 वैधता दिनांकः 01-APR-2028

प्रेषित–

आवेदक का नाम श्री/श्रीमतीः GAURAV SARAN

आवेदक का पताः MOTI NAGAR BADSAM ROAD SANCHORE

विषयः– अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन RAJSHREE MAHAVIDHYALAYA SANCHORE, 3704/2572, BADSAM ROAD, MOTI NAGAR SANCHORE, SANCHORE, JALORE, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह **स्थाई** (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा स्वत निरस्त मानी जावेगी।
2. भवन में समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलवाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिल करवाना होगा।
4. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वालनशील पदार्थ नही रखा जावें।
5. यदि राज्य सरकार या परिषद् द्वारा भविष्य में कोई नियम/उप नियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाये जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जायेगा।
7. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
8. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्निश सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
9. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
10. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिये पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
11. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होगे ताथा ए.एम.सी. करवायी जाकर सिस्टम का रख–रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
12. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होगें व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होगें।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस बाबत् आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रुफ टॉफ रेस्टोरेन्ट के लिये मान्य नही है। जिस भाग के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रुफ टॉप रेस्टोरेन्ट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

"शहरी सेवा शिविर-2025" कार्यालय नगरपालिका सांचोर

Signed by: Trikam Dan Charan
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: SANCHORE, Rajasthan
Date: 02/04/2026 18:54:05

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, सांचोर